

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
"मंत्रालय"


// आदेश //

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2014

क्रमांक एफ 5(ए)/10/2013/ई/चार, राज्य शासन एतद् द्वारा श्री सीताराम मौर्य (म.प्र. वित्त सेवा), लेखाधिकारी, जे.जे. चिकित्सालय, ग्वालियर को, चिकित्सा शिक्षा विभाग से सेवारत वापस लेते हुये, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक जिला पेंशन अधिकारी, श्योपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है ।

उपरोक्त अधिकारी अपनी नवीन पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर, उपस्थिति प्रतिवेदन इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 5(ए)/10/2013/ई/चार
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2014

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के स्टाफ आफीसर,
 3. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग
 4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त के निज सचिव,
 5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र., भोपाल
 6. संचालक, संचालनालय पेंशन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 7. संबंधित संभागीय पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश,
 8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश,
 9. संबंधित अधिकारी,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(सुषमा शर्मा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग